रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2009/श्रावण 13, 1931

No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2009/SRAVANA 13, 1931

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(पिछड़ा वर्ग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2009

सं. 20012/10/2007-बीसीसी.—भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20012/10/2003-बीसीसी के तहत रचित तथा 3 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 20012/10/2003-बीसीसी के तहत पुनर्रचित विद्यमान आरक्षण नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग को दिनांक 7-8-2008 के संकल्प में वर्णित समान विचारणीय विषयों के तहत जारी रखने और इस आयोग के कार्यकाल को 31-7-2009 से आगे 8 महीनों के लिए अर्थात् 31-3-2010 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है ।

डॉ. विनोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Backward Class Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th August, 2009

No. 20012/10/2007-BCC.—The Government of India has resolved to continue the Commission for Economically Backward Classes not covered under the existing Reservation Policy constituted *vide* Gazette Notification No. 20012/10/2003-BCC dated 6th January, 2004 and reconstituted *vide* Notification No. 20012/10/2003-BCC dated 3rd March, 2005 and extend the term of the Commission for eight months beyond 31-7-2009 i.e. upto 31-3-2010 under the same terms of reference as mentioned in resolution dated 7-8-2008.

Dr. VINOD AGGARWAL, Jt. Secy.

2837 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.